नतीजा हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल ... | तारीख

ऑन लाईन नं.GCMS2025/ /115

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 34/2025

श्री हंसराज गोदारा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार —(विक्रेता एवं मालिक)—
मैसर्स :— जसूजा बैकर्स, 643— विनोबा बस्ती, (न्यू) पुराना 411 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

:: **निर्णय** :: **दिनांक : 20.06.2025**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2025 को दोपहर बाद 3.30 पी.एम. को **मैसर्स जसूजा बैकर्स, 643— विनोबा बस्ती, (न्यू) पुराना 411 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर** पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **श्री रोहित कुमार पुत्र विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** , को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान में रखे लगभग 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित) के** बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का (**विक्रेता**) होना बताया तथा संस्थान पर सिल्वर ट्रे में रखे 7—8 किलोग्राम खाद्य **पदार्थ बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित) को आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। इसी **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित) का** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा, विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित)** में से 800 ग्राम को मालिक से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित)** का नगद भुगतान 128/—रूपये

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित)** को बराबर भागो में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल के कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–2738** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2738** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/349/एक्ट/2025/349 दिनांक 25.03.2025 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2738 **Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्सः– जसूजा बैकर्स, 643– विनोबा बस्ती, (न्यू) पुराना 411 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर** द्वारा **Sub-standard Food, बैकरी बिस्कुट** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/115

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 9 बी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स जसूजा बैकर्स दुकान नम्बर 643 विनोबा बस्ती न्यू पुराना 41 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 25/778 दिनांक 28.05.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में बैकरी बिस्कुट की जांच की गई तो बैकरी बिस्कुट पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बैकरी बिस्कुट में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बैकरी बिस्कुट (Bakry Shortening आटा,दूध, चीनी, इलायची से निर्मित)** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/349/एक्ट/2025/349 दिनांक 25.03.2025 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2738 **Sub-standard Food.** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना जो धारा 51 में निर्धारित है लगाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 25/778 दिनांक 28.05.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में बैकरी बिस्कुट की जांच की गई तो बैकरी बिस्कुट **Sub-standard Food.** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बैकरी बिस्कुट में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Bakery Biscuit " bearing Code No and Sr. No. K-2738, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Stanadards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/115

फलस्वरूप अभियक्त **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 30000—00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार (विक्रेता एवं मालिक)** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर